प्रेस विज्ञप्ति
10.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल, उनके निदेशकों व अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष आरोपी हरसतिंदर पाल सिंह हेयर व अन्य के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा 09.06.2025 को इसका संज्ञान लिया गया।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएफसी, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत मेसर्स पीएसीएल, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, एनएस भंगू व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। वे निवेशकों को धोखा देने के लिए फर्जी निवेश योजनाओं के संचालन में शामिल थे। इन योजनाओं के माध्यम से, पीएसीएल और उसके निदेशकों ने निवेशकों के साथ लगभग 48,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उल्लेखनीय है कि दिवंगत श्री एनएस भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह को ईडी ने 21.03.2025 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स पीएसीएल द्वारा एकत्र किए गए फंड को मेसर्स एमडीबी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी इकाई में विपथित किया गया था जिसे हरसतिंदर पाल सिंह हेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता था ताकि फंड के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके तथा इन दागी संपत्तियों को बेदाग संपत्तियों के रूप में पेश किया जा सके और उन पर दावा किया जा सके। इसके अलावा, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में स्थित कई अचल संपत्तियों को 2011-2014 की अवधि के दौरान मेसर्स पीएसीएल द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किए गए फंड से हरसतिंदर पाल सिंह हेयर ने अपने नाम पर खरीदा था, जो कि अपराध की आय(पीओसी) के अलावा और कुछ नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि ये संपत्तियां पीओसी से खरीदी गई थीं, हरसतिंदर पाल सिंह हेयर ने जानबूझकर इन संपत्तियों को अपने पास रखना, उपयोग करना, दावा करना और अपने नाम पर बेदाग संपत्तियों के रूप में पेश करना जारी रखा। इसके अलावा, हरसतिंदर पाल सिंह हेयर भी इनमें से कुछ संपत्तियों को नष्ट कर रहे थे, जो कि पीओसी के अलावा और कुछ नहीं हैं

पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया कि मेसर्स पीएसीएल की कई सहयोगी कंपनियों में निदेशक हरसतिंदर पाल सिंह हेयर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में मेसर्स पर्ल्स ऑस्ट्रेलेशिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ऑस्ट्रेलेशिया मिराज आई-प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, ने विदेशों में 657.18 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण और धन की पार्किंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पीओसी का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। इन कुर्क संपत्तियों का ब्योरा संपत्ति के निपटान और प्रभावित निवेशकों को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, ईडी ने पहले ही मेसर्स पीएसीएल,एनएस भंगू व अन्य के खिलाफ मामले में दो अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।

आगे की जांच जारी है।